संख्या-10/2017/आडिट-1-833/दस-2017-317(2)/2015

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0
नवां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषय:- अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत सहकारी समितियां एवं पंचायतें, उ0प्र0 के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु स्वीकृत लेखानुदान को घटाते हुए अवशेष सात माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 (प्रति संलग्न) के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष सात माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिए आय व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-2425-सहकारिता-101 सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान के मद में प्राविधानित धनराशि रूपये 1,32,99,39,000/- (रूपये एक अरब बत्तीस करोड़ निन्यानवे लाख उन्तालिस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 74,46,31,000/- (रूपये चौहत्तर करोड़ छियालिस लाख इकतिस हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रूपये लाख में)

लेखा शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पाश्वार्ंकित मदों में प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) लिए स्वीकृत की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष सात माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
राजस्व लेखा			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2425-सहकारिता-101 सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान			
01- वेतन	10617.44	5032.92	5584.52
02- मजदूरी	18.00	7.50	10.5
03- मंहगाई भत्ता	637.05	251.65	385.4
04- यात्रा व्यय	70.00	29.17	40.83
05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय	15.00	6.25	8.75
06- अन्य भत्ते	600.00	250.00	350.00
07- मानदेय	1.00	0.42	0.58
08- कार्यालय व्यय	80.00	33.33	46.67
09- विद्युत देय	20.00	8.33	11.67
10- जलकर/जल प्रभार	0.50	0.21	0.29
11- लेखन सामाग्री और फार्मो की छपाई	40.00	16.67	23.33
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	80.00	33.33	46.67
13- टेलीफोन पर व्यय	20.00	8.33	11.67
14- मोटर गाडियों का क्रय	10.00	4.17	5.83
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50.00	20.83	29.17
16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	10.00	4.17	5.83
17- किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व	60.00	25.00	35.00
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	5.00	2.08	2.92
26- मशीने और सज्जा/उपकरण संयन्त्र	20.00	8.33	11.67
42- अन्य व्यय	1.00	0.42	0.58
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	4.17	5.83
45- अवकाश यात्रा व्यय	3.00	1.25	1.75
46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ़टवेयर का क्रय	100.00	41.67	58.33
47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30.00	12.50	17.5
49- चिकित्सा व्यय	72.00	50.00	22.00
51- वर्दी व्यय	0.90	0.38	0.52
52- पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	728.50	-	728.50
योग	13299.39	5853.08	7446.31

(रूपये चौहत्तर करोड़ छियालिस लाख इकतिस हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2-   धनराशियों का व्यय करने में वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3-   उपरोक्तानुसार प्रावधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4-   यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखा शीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

5-   उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीया

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या-10/2017/आडिट-833(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in